14(20)—1

पत्रांक –3/एम0–32/2024 सा0...16925/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 18.10. 2024

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग को अन्तर्विभागीय परामर्श हेतु संचिका उपलब्ध कराने के संदर्भ में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना संबंधी मामलों में नियामक विभाग है। फलतः विभिन्न विभागों द्वारा स्थापना विषयक विभिन्न मामलों में नियमसम्मत् परामर्श हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. इस क्रम में दिनांक–01.09.2022 से 15.09.2024 तक सामान्य प्रशासन विभाग में स्थापना संबंधी मामलों में परामर्श हेतु प्राप्त संचिकाओं के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य रेखांकित हुए हैं–

(क) आलोच्य अवधि में गृह विभाग से कुल 117 संचिकाएँ, पथ निर्माण विभाग से कुल 86 संचिकाएँ, जल संसाधन विभाग से कुल 72 संचिकाएँ, शिक्षा विभाग से कुल 66 संचिकाएँ एवं स्वास्थ्य विभाग से कुल 64 संचिकाएँ प्राप्त हुई थीं।

(ख) आलोच्य अवधि में कुल 138 संचिकाओं में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के संदर्भ में, कुल 122 संचिकाओं में नियुक्ति संबंधी मामलों में, 118 संचिकाओं में संविदा नियोजन संबंधी मामलों में एवं कुल 108 संचिकाओं में प्रोन्नति के मामलों में परामर्श की अपेक्षा सामान्य प्रशासन विभाग से की गयी थी।

3. वर्णित स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विषयों/प्रावधानों में स्पष्टता हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर Master Circular का Link उपलब्ध कराया गया है। उक्त Link पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005; बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976; संविदा नियोजन; सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन; बिहार सचिवालय सेवा/बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा/बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा/कार्यालय परिचारी संवर्ग/वाहन चालक संवर्ग/समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग आदि से संबंधित सेवा/संवर्गीय नियमावली;

विभिन्न आयोगों से संबंधित नियमावली; बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी; आरक्षण प्रावधान आदि विषयों से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना/संकल्प/नियमावली/परिपत्र की अद्यतन संशोधित प्रति के साथ–साथ इन विषयों पर FAQs भी उपलब्ध कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संबंधित मामलों में सहयोग हेतु इनका समुचित उपयोग किया जाय।

4. साथ ही यह भी अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग को परामर्श हेतु संचिका पृष्ठांकित किये जाने के क्रम में विचाराधीन मामले के प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित आत्मभारित टिप्पणी में रेफरेन्स का बिन्दु स्पष्ट करते हुए रेफरेन्स के बिन्दु के संदर्भ में प्रशासी विभाग का अभिमत भी अंकित करने का कष्ट किया जाय।

5. कतिपय मामलों में यह भी पाया गया है कि परामर्श की संचिका के साथ अनावश्यक रूप से अन्य संचिकाएँ भी संलग्न कर दी जाती हैं जिससे संचिकाओं के Handling में अनावश्यक कठिनाई होती है। अतः परामर्श हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली संचिकाओं के साथ अत्यावश्यक होने पर ही अन्य संचिकाएँ संलग्न करने का कष्ट किया जाय।

6. उपर्युक्त कंडिका–3, 4 एवं 5 में वर्णित अनुरोध से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए उन्हें तदनुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

18/10/24.

(रजनीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।